

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1836
जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है
टोल दरें

1836. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में टोल टैक्स की दर निर्धारित करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है;
- (ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उच्च टोल शुल्क दर मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं और इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा नागरिकों को उच्च टोल शुल्क दरों से राहत प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (घ) पानीपत खटीमा राजमार्ग, मेरठ-रुड़की राजमार्ग और पंचकूला-देहरादून राजमार्ग के लिए निजी रियायतग्राहियों और सरकार के बीच किए गए समझौतों का व्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या देश में टोल शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा नई नीतियां/संशोधन प्रस्तावित हैं; और
- (च) क्या सरकार ऐसे राजमार्गों के लिए टोल दरों को कम करने के लिए कदम उठाएगी जहां रियायतग्राही अल्प अवधि में ही सड़क निर्माण और रखरखाव की लागत से काफी अधिक लाभ अर्जित करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी विशेष खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क की दर निर्धारित करने में विभिन्न कारकों जैसे लेन विन्यास अर्थात पेंड शोल्डर के साथ 2 लेन/4 या अधिक लेन, खंड की लंबाई, बाईपास/संरचनाओं/टनल की लंबाई और वाहन के प्रकार (कार, बस, मल्टी एक्सल ट्रक, आदि) पर विचार किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग के उस खंड के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क लिया जाता है जिसे सड़क प्रयोक्ताओं को यात्रा में आसानी उपलब्ध करवाने और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर संग्रहित प्रयोक्ता शुल्क मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रुझान को दर्शाने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के कारण वार्षिक संशोधन के अध्यधीन रहता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क छूट और मासिक पास उपलब्ध हैं।

(घ) पानीपत खटीमा राजमार्ग, मेरठ -रुड्की राजमार्ग और पंचकूला - देहरादून राजमार्ग के लिए रियायतग्राहियों/संविदाकारों और सरकार के मध्य हुए समझौते का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ.) वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है।

(च) निजी निवेश वाली परियोजना के मामले में, प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण रियायतग्राही के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

टोल दरों के संबंध में सुश्री इकरा चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 05.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1836 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(क) पानीपत-खटीमा राजमार्ग, (ख) मेरठ- रुड़की राजमार्ग और (ग) पंचकूला -देहरादून राजमार्ग के लिए रियायतग्राहियों/संविदाकारों और सरकार के मध्य हुए समझौते का विवरण :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी में)	रियायतग्राही का नाम/ संविदाकार
(क) पानीपत-खटीमा राजमार्ग			
1.	एनएचडीपी चरण IV के तहत ईपीसी मोड में एनएच-74 के हरिद्वार-नगीना खंड को चैनेज 69.800 से चैनेज 71.614 तक 4 लेन का बनाना।	2.814	मैसर्स कॉर्सन कोर्वियम कंस्ट्रक्शंस एसए
2.	एनएचडीपी चरण IV के तहत ईपीसी मोड में एनएच-74 के नगीना-काशीपुर खंड को चैनेज 71.614 से चैनेज 170.407 तक 4 लेन का बनाना।	98.793	मैसर्स पीएनसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
3.	एनएच-74 का काशीपुर सितारगंज खंड किमी 175.000 से किमी 252.200 तक	77.200	मैसर्स काशीपुर सितारगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड
4.	एनएच-125 का सितारगंज टंकपुर खंड किमी 0.000 से किमी 52.200 तक	43.945	मैसर्स एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
5.	एनएच-125 के खटीमा बाईपास के किमी 24+720 से किमी 32+975 तक को 2 लेन पेट्ट शोल्डर का बनाना।	8.255	मैसर्स एपीएस इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	एनएच-125 पर किमी 0.000 से किमी 52.200 तक नियमित रखरखाव एवं घटना प्रबंधन कार्य	43.945	मैसर्स श्री कृष्णा एंड कंपनी

7	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709 एडी के मुजफ्फरनगर - मीरांपुर खंड पर किमी 97.450 से किमी 123.450 तक पैकेज-III	26	मैसर्स आरसीसी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-119 के बहसूमा - बिजनौर खंड पर किमी 39.240 से किमी. 86.590 तक 4 लेन का निर्माण	39.560	मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
9	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709एडी का बिजनौर - कोतवाली खंड किमी 153.660 से किमी 175.280 तक (पैकेज-IV)	21.62	मैसर्स एपीएस हाइडो-मथियान (जेवी)
10	उत्तर प्रदेश राज्य में मुजफ्फरनगर शहर को बाईपास करते हुए एनएच-709 एडी को एनएच-58 से जोड़ने वाला मुजफ्फरनगर का स्पर।	10.16	मैसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी.
11	एनएच-709एडी (पानीपत-खटीमा) का पानीपत से शामली खंड किमी 0.00 से किमी 35.58 तक	35.58	मैसर्स जी.आर. इंफ्राप्रोजेक्ट्स
12	एनएच-709एडी (पानीपत-खटीमा) का शामली से मुजफ्फरनगर खंड किमी 35.58 से किमी 78.45 तक	42.87	मैसर्स जी.आर. इंफ्राप्रोजेक्ट्स
(ख) मेरठ- रुड़की राजमार्ग			
1.	उत्तर प्रदेश राज्य में बीओटी मोड पर एनएच-58 के मेरठ मुजफ्फरनगर खंड (किमी 52.250 से किमी 131.000 तक)।	78.31	मैसर्स वेस्टर्न यूपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
2.	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709एडी का मुजफ्फरनगर - मीरांपुर खंड किमी 97+450 से किमी 123+450 तक	26	मैसर्स आरसीसी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

	पैकेज-III		
3.	उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709एडी का बिजनौर - कोटावाली खंड किमी 153+660 से किमी 175+280 तक (पैकेज-IV)	21.62	मैसर्स एपीएस हाइडो-मथियान (जेवी)
4.	मुजफ्फरनगर शहर को बायपास करते हुए एनएच-709एडी (पानीपत-शामली-मुजफ्फरनगर राजमार्ग) और एनएच-58 (नया एनएच-334) (मेरठ- रुड़की राजमार्ग) को जोड़ने वाला मुजफ्फरनगर का स्पर	10.157	मैसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी.
5.	मुजफ्फरनगर - हरिद्वार के 4 लेन का शेष कार्य [पैकेज-I] (डिजाइन चैनेज 130.360 से 167.200) [मुजफ्फरनगर से रुड़की बाईपास का प्रारंभ]	36.84	मैसर्स आरएससीपीएल-एसकेसी-एबीआईपीएल जे.वी.
(ग) पंचकूला -देहरादून राजमार्ग			
1.	हरियाणा राज्य में एनएच-73 के किमी 70.830 से किमी 115.400 तक यूपी/हरियाणा सीमा- यमुनानगर - साहा-बरवाला-पंचकूला खंड को 4 लेन का बनाना (पैकेज-I)	44.57	मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड.
2.	हरियाणा राज्य में एनएच-73 के यूपी/एचआर सीमा- यमुनानगर - साहा-बरवाला-पंचकूला खंड पर किमी 115.400 से किमी 157.192 तक 4/6 लेन का निर्माण (पैकेज-II)।	41.79	मैसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड
3.	एनएच-73 के यूपी/बॉर्डर-यमुनानगर -साहा-बरवाला-पंचकूला खंड पर किमी.160.357 से किमी 179.248 (डिजाइन किमी 157.192 से 176.400 तक)	19.200	मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

	तक को 4/6 लेन का बनाना (पैकेज-III)		
4.	एनएच-72ए छुटमलपुर का गणेशपुर खंड के किमी 0.000 से 17.900 तक और एनएच-73 रुड्की - छुटमलपुर गागलहड़ी खंड का किमी 0.000 से किमी 35.400 तक ।	50.53	मैसर्स एमबीएल (सीजीआरजी) रोड लिमिटेड
5.	एनएच-73 का गागलहड़ी - सहारनपुर- यमुनानगर (यूपी/हरियाणा सीमा) खंड किमी 35.000 से किमी 86.855 तक ।	51.455	मैसर्स एमबीएल (जीएसवाई) रोड लिमिटेड
